

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 1(3)(40)स्था/निमअ/2012/पार्ट-1/ 9529

जयपुर, दिनांक : 12.06.2020

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ एवं कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशालय महिला अधिकारिता में निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर लिपिक ग्रेड-2 (कनिष्ठ सहायक) के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/- प्रतिमाह एवं परीवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्वारा नियुक्त किया जाता है-

क्र. सं.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	श्रेणी, लिंग	जन्म तिथि	वर्ग	पद स्थापन स्थान
1.	1317480	श्री अमृत जॉंगिड	श्री श्रवण लाल	पुरुष	05.05.1993	ओबीसी, सामान्य	निदेशालय महिला अधिकारिता
2.	1245681	श्री चन्दन शर्मा	श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा	पुरुष	05.12.1992	सामान्य	
3.	2191694	श्री विकास चौधरी	श्री रघुवीर सिंह चौधरी	पुरुष	27.10.1996	ओबीसी, सामान्य	
4.	2226330	श्री विष्णु कुमार स्वामी	श्री सूरजभान स्वामी	पुरुष	01.01.1988	ओबीसी, सामान्य	
5.	1778618	श्री हर्षदीप ठाकराणी	श्री चिरंजी लाल ठाकराणी	पुरुष	23.02.1994	सामान्य	
6.	2338634	श्री संदीप कुमार	श्री मांगेराम	पुरुष	05.10.1992	ओबीसी, सामान्य	
7.	2195210	श्री सन्तोष कुमार	श्री वेदमित्र	पुरुष	23.06.1996	एमबीसी	
8.	1582710	श्री किरण मीणा	श्री रामजीलाल मीणा	महिला	18.07.1998	एस.टी.	
9.	1806301	श्री नरेन्द्र कुमार रैगर	श्री बद्री प्रसाद रैगर	पुरुष	15.06.1995	एस.सी	
10.	2378560	श्रीमती सरोज	श्री आनन्द प्रकाश	महिला	08.04.1991	एस.सी.	
11.	1964981	सुश्री नीतू मीणा	श्री मुरलीधर मीणा	महिला	09.07.1997	एस.टी.	

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:-

- उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उतर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। उपस्थिति निदेशालय महिला अधिकारिता, जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर में दें।
- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
- उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प0 11(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/ 2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अध्याधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
- परीवीक्षाकाल (Probationer-Trainee) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
- यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
- दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार वेतन व अन्य भत्ते देय होंगे।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में उपलब्ध कराये गये कनिष्ठ सहायक की क्रम योग्यता सूची के अनुसार योग्यता क्रम में ही रहेगी।
- परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के